न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0सं0ः–489/2020

ओबरा थाना कांड संख्या ः–147/2020

12.10.2020 उक्त वाद में जप्त ट्रक निबंधन संख्या–JH09M6192 का स्वामी संतोष कुमार की ओर से उपरोक्त वाहन की मुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–07.07.2020 को संचालित करने हेतु ई–फायलिंग के तहत एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

आवेदक के विद्वान उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उपरोक्त वाहन का स्कीन प्रतिवेदन आवेदक को प्राप्त हो गया है । स्कीन प्रतिवेदन को अभिलेख पर रखने की कृपा की जाय तथा आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि जिला परिवहन पदाधिकारी जहानाबाद को उक्त वाहन का स्कीन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था लेकिन जिला परिवहन पदाधिकारी जहानाबाद के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नही किया गया है बल्कि प्रतिवेदन को आवेदक को सौंप दिया है । अतः जिला परिवहन पदाधिकारी जहानाबाद को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आशय का कारण–पृच्छा दिनांक–02.11.2020 तक समर्पित करें कि आपके द्वारा आवेदक को ट्रक निबंधन संख्या–JH09M6192 का स्कीन प्रतिवेदन किसके आदेश से सौंपा गया है जबकि न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि आप स्कीन प्रतिवेदन समर्पित करें । आपके द्वारा किया गया कृत्य घोर लापरवाही दर्शित होता है । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित जिला परिवहन पदाधिकारी को भेंजे ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।